Order Sheet (subsequent)

CNR No.-RJBR01000508-2023

राजस्थान राज्य बनाम मोनू

सेशन प्रकरण संख्या : 46/2023

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the order
04.02.2026	लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त मोनू न्यायिक अभिरक्षा से जिला कारागृह बारां से जरिये वी.सी. उपस्थित। अधिवक्ता अभियुक्त श्री महेश त्यागी न्याय संरक्षक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उपस्थित। साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.ड.22 भानसिंह कांनिस्टेबल के बयान लेखबद्ध किये गये। दौराने बयान हस्तगत प्रकरण से संबंधित मालखाना रजिस्टर पुलिसथाना कस्बाथाना की ओर से प्रस्तुत किया गया, जो बयान पूर्ण होने के पश्चात् श्री साकिर खान कांनिस्टेबल नंबर 825 थाना कस्बाथाना को सुपुर्द किया गया, जिसकी रसीद आदेशिका पर ली गई। इस स्तर पर लोक अभियोजक द्वारा एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें हस्तगत प्रकरण में धारा–65(बी) प्रमाण पत्र जारी करने वाले (1) एयरटेल कंपनी के नोडल अधिकारी श्री दीपक बलवदा (2) जीयो कंपनी के नोडल अधिकारी श्री प्रभात भूषण (3) बीएसएसल कंपनी के नोडल अधिकारी श्री पंकज शेरशाह को न्यायहित में परीक्षित करवाये जाने हेतु साक्ष्य सूची में जोड़कर साक्ष्य हेतु तलब फरमाये जाने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता अभियुक्त को प्रार्थना–पत्र की नकल दिलाई गई। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा। अभियुक्त मोनू की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि जरिये वी.सी. दिनांक 09.02.2026 तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.02.2026 को पेश हो। सत्यनारायण टेलर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां (राज.)	बाद बयान असल मालखाना रजिस्टर प्रा.प्र. किया। Sakir khan साकिर खान 825 थाना- कस्बाथाना